

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 48/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/53)

1. मांगेराम पुत्र रामेश्वर जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण पुत्र अमर सिंह जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बुद्धराम पुत्र पप्पूराम जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. सोनिया पुत्री पप्पूराम जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. चन्द्रा पत्नी पप्पूराम जाति जाट साकिन संवाई छानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट्स

- उपस्थित:
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
 2. श्री हरिराम बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1, 2, 3
 3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 21.05.2024

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ) भादरा, जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 21.04.2014 के विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.)भादरा द्वारा रिमाण्ड प्रकरण (अति.जिला कलक्टर नोहर अपील सं. 41/11 दिनांक 17.06.2013) में दिये गये निर्णय दिनांक 21.04.2014 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 21.04.2014 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांत के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अकित बिन्दुओं को दौहराते हुए वहस के दौरान कहा कि अपीलाधीन आदेश व तहसीलदार भादरा व उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में वर्णित भूमि



चक 11 जोगीवाला की 4 बीघा, चक नं. 4 छानी की 10 बीघा 10 बिस्वा व चक नं. 6 झांसल की 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 17 बीघा खातेदारी भूमि की वसीयत गुगनराम खातेदार द्वारा अपीलान्ट्स के पक्ष में हुई थी। गुगनराम लाओलाद, कुवारा फौत हुआ था, अपीलान्ट द्वारा उसकी सेवा चाकरी की गई, वसीयत सन् 1995 में की गई है, गुगनराम की मृत्यु दिनांक 11.11.2005 को हो गई। गुगनराम की मृत्यु के बाद अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भादरा में दावा पेश किया, उक्त दावे में दिनांक 27.01.2009 को दावा डिक्री हुवा, दावे में वसीयत को वैध माना गया तथा प्रकरण को धारा 135 (2) में सुनकर वसीयत के आधार पर निर्णय पारित करने के आदेश दिया। तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 01.07.2009 को निर्णय पारित कर दिया, तहसीलदार भादरा का निर्णय अस्पष्ट है क्योंकि अगर इकरारनामा था तो इन्तकाल किस भूमि के बाबत दर्ज करने का आदेश पारित किया है क्योंकि भूमि का इकरारनामों के अनुसार तथाकथित हस्तान्तरण भूमि का हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कभी भी सुनवाई बाबत सूचना व नोटिस नहीं दिया था जबकि अपीलान्ट व्यथित पक्षकार थे। अपीलाधीन भूमि खातेदारी भूमि थी तथा मौके की रिपोर्ट मांगी ही नहीं गई फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने व बिना तलब किये इकतरफा तौर पर पारित किया गया है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम अपीलान्ट को हल्का पटवारी के पत्र दिनांक 24.06.2022 के प्राप्त होने पर हुई। शून्य आदेश व क्षेत्राधिकार विहीन आदेश के विरुद्ध अपील पेश करने की मियाद लागू नहीं होती है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा के आदेश दिनांक 21.04.2014 निरस्त फरमावें। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में हिन्दु सक्सेन एक्ट 1956, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, RRD 2008 पेज 225, RRD 210 पेज 615, RRD 2006 पेज 190, RRD 2002 पेज 280, RRD 199 पेज 98, (H C), RRD 2011 पेज 786, RRD 1994 पेज 276, RRD 1993 पेज 29, RRD 2004 पेज 101, RRD 2019 पेज 510, RRD 1989 पेज 266, RRD 1989 पेज 341, RRD 1993 पेज 127, RRD 2021


अतिरिक्त सहायकी आयुक्त
बीकानेर



पेज 1, RRD 1998 पेज 319, (H C), RRD 1999 पेज 346, RRD 1993 पेज 502, RRD 1996 पेज 457, RRD 1991 पेज 492, RRD 1969 पेज 119, RRD 1986 पेज 7, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर पेश की गई है, मियाद के प्रार्थना पत्र में वर्णित तमात तथ्य मिथ्या, गलत व कोर्ट को गुमराह करने के उद्देश्य से वर्णित किया गया है। कब नकल प्रार्थना पत्र पेश किया, कब नकल जारी हुई प्रार्थना पत्र में कोई हवाला नहीं दिया गया है। प्रार्थीगणों के दादा का भाई गुगनराम व अप्रार्थीगणों के दादा लिछमण का भाई गुगनराम था जो लाऔलाद फौत हो गया। गुगनराम के हिस्से की विवादित कृषि भूमि वाके चक 11 जेजीएम, 10 जेएसएल, 6 जेएसएल व 4 जेजीएम में कुल संयुक्त खाते में 25.806 हैक्टर स्थित थी। गुगनराम ने अपने हिस्से की भूमि का एक वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड दिनांक 10.07.1995 को अपीलाटगणों के पक्ष में करता है जो नोटेरी के रजिस्टर के क्रमांक 519 पर दर्ज किया व इसी प्रकार उसी दिन उसी नोटेरी के रजिस्टर क्रमांक 520 पर एक इकरारनामा अपीलान्ट सं. 1 के पिता रामेश्वर के नाम प्रति बीधा 20000/-रूपये कुल 340000/- रूपये में नगद प्राप्त करके गुगनराम ने उक्त भूमि रामेश्वर को मौके पर कब्जा सभलवा दिया गया। गुगनराम की मृत्यु दिनांक 11.11.2005 को उक्त वसीयत लिखने के दस वर्ष पश्चात हुई। उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दिनांक 01.07.2009 को अपीलान्टगणों के नाम दर्दीक हुआ। उक्त इन्तकाल की अपील पप्पूराम द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के यहा प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्टगणों को नोटिस विधिवत तामील हो जाने व हाजिर नही आने पर दिनांक 09.11.2012 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर प्रकरण सं. 41/11 में निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण रिमाण्ड होने पर जो वसीयत इन्तकाल आदेश दिनांक 01.07.2009 निरस्त कर दिया था जिसमें पुनः सुनवाई हेतु अपीलान्टगणों को नोटिस जारी किये गये व समस्त दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जिनका गहन अध्यन करने के बाद तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 21.04.2014 को पूर्व में वसीयत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर



के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 01.07.2009 निरस्त करके गुगनराम के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत वंशावली के अनुरूप विरासतन नामान्तरण दर्ज के आदेश पारित किये गये हैं। रामस्वरूप पुत्र हरचन्द द्वारा इन्तकाल सं. 592,798, 562 व 851 की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर में प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्तगणों को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब करने पर इनकी ओर से एडवोकेट्स हाजिर अदालत आये, बहस सुनी जाकर दिनांक 08.05.2018 को निर्णय पारित किया गया। राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय द्वारा अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वकील की जानकारी पक्षकारों की जानकारी मानी जाती है। इस प्रकार चार वर्ष बाद यह कहना कि वकील द्वारा हमें जानकारी नहीं दी गई है, मनगढ़त कहानी मियाद कन्डोन के लिए बनाई गई है। मियाद के लिए प्रत्येक दिन की देरी का कारण बताया जाना आवश्यक है, अपीलान्त द्वारा पुलिस में FIR होने पर मुल्जिम बनने से बचने के लिए अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। इस प्रकार अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। हस्तगत प्रकरण तहसीलदार भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। तहसीलदार भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.04.2014 में वसीयत की जाने वाली भूमि को पैतृक भूमि बताया है न कि वसीयतकर्ता गुगनराम पुत्र पेमाराम की स्वअर्जित भूमि। विधि में यह स्पष्ट है कि पैतृक भूमि की वसीयत किया जाना न्यायसंगत नहीं है। तहसीलदार द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर वसीयत को प्रभाव शून्य करार दिया है। साथ ही वसीयत व बैयनामा इकरानामा की वैधता परखने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। चूंकि भूमि पैतृक होना तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया है अतः पैतृक सम्पत्ति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.04.2014 को पारित किया गया जबकि अपील दिनांक



29.07.2022 को दायर की गई। उक्त विलंब का कारण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.06.2022 को अपीलान्त को पत्र द्वारा सूचना होना बताया जो विलंब (डिले) ठोस, विश्वसनीय व SUFFICIENT CAUSE की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए यह अपील मियाद बिन्दु पर भी संधारण योग्य नहीं है। उक्त विवेचन के मध्यनजर तहसीलदार (भू.अ.) भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2014 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2014 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर